न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2018 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. नानजी पिता चुनिया जाति भील निवासी तलवाडी, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. रामा पिता चुनिया जाति भील निवासी तलवाडी, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. हरीश पिता चुनिया जाति भील निवासी तलवाडी, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. गटू पिता चुनिया जाति भील निवासी तलवाडी, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. चतुरी पत्नी शम्भुलाल जाति भील निवासी तलवाडी, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. वालम पत्नी मोगा जाति भील निवासी तलवाडी, तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा दि. 19.06.2017 प्र.सं. 44/17

———::———

उपस्थित :– 1. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री महेन्द्र कुमार गॉधी अभिभाषक रे.सं. 1, 2

———::———

निर्णय **दिनांक 28.01.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ने एक वाद [illegible] काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 के संयुक्त [illegible] संख्या नया 7 पुराना 4 के आराजी नम्बर 12, 13, 14, 14/204, 20, 21

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:35 IST
Reason: SelfAttested

21/206, 22, 22/205, 23, 30, 31, 34/208, 34/209, 36/240, 36/262, 37, 37/210, 41, 41/213, 42, 43/259, 43/277, 44, 44/215, 46, 47/244, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56/241, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 73, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112 कुल किता 55 रकबा 6.26 हैक्टेयर भूमि ग्राम तलावडी तहसील आनन्दपुरी मे स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादीगण 1 से 5 का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, किन्तु प्रतिवादीगण झगड़ा फसाद करते है तथा वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है। अत वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे एव मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

2 अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 19.06.2017 को निर्णय पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा यह अपील दिनाक 16.03.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3 अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4 अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि दिनांक 02.01.2018 को अपीलान्टगण जब अपनी फसल की देख रेख कर रहे थे तो रेस्पोडेन्टगण कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ आये तथा धमकी दी आधे खेत हमारे हो गये है, तुम कब्जा छोड दो, जिस पर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 05.08.2018 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील समयावधि में स्वीकार फरमायी जावे। ताईद मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

5 हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा बहस [illegible] मनन किया। न्यायहित में प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:35 IST
Reason: SelfAttested

उदयपुर (राज.)

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के जवाबदावें हेतु प्रकरण निहित था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जवाबदावा लिये एवं बिना साक्ष्य लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जिससे अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

7. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

8. हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का यह कथन कि एकपक्षीय डिक्री जारी होने से उन्हें अपना एकपक्षीय प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.06.2017 के अनुसार आदेशिका पर सभी अपीलान्टगण के अंगुष्ठ निशानी व हस्ताक्षर है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ही प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2017 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28–01–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

28.1.26

(कीर्ति राठौड़)
भू प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन [illegible] अपील अधिकारी
उदय[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**...........
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

नानजी पिता चुनिया भील नि.तलवाड़ी तह.आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा व अन्य बनाम **चतुरी पत्नी शम्भुलाल भील नि. तलवाड़ी तह. आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा व अन्य**

अपील नं.......**09/2018**...........व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**.......
..........**बागीदौरा**.......... मुकाम................ मुवर्खे...........**.....19**..............माह.............**06**............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.......**28**......माह......**01**.........सन् **2026** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री जयेन्द्र पुरोहित**.....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री महेन्द्र कुमार गॉधी**
..........रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हरब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......).......रूपये .... **X**..... अदा करे, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें ।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**28**......माह........**01**...........**2026** को जारी किया गया ।

28.1.26

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:35 IST
Reason: SelfAttested